

# इलिनाय कोर्ट-आधारित किराया सहायता कार्यक्रम

स्वीकार्य आवास प्रदाता / मकान मालिक दस्तावेज़

## पहचान का स्वीकार्य प्रमाण

सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र स्वीकार्य हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस या रियल आइडी
- अस्थायी विजिटर का ड्राइविंग लाइसेंस
- सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र
- इलिनाय सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग
- मैट्रिकुला वाणिज्य दूतावास या कोई विदेशी वाणिज्य दूतावास आईडी
- अमेरिकी या विदेशी पासपोर्ट
- अमेरिकी स्थायी निवास निवासी कार्ड
- शिकागो सिटीकी आईडी कार्ड
- निगमन के लेख

## स्वामित्व का प्रमाण

निम्नलिखित दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं (संपत्ति का पता और मालिक का नाम स्पष्ट होना चाहिए):

- नवीनतम संपत्ति कर बिल की किस्त
- सबसे हालिया मासिक बंधक विवरण
- डीड
- काउंटी वेबसाइट से संपत्ति रिकॉर्ड

## पिछले-देय किराए के प्रमाण

निम्नलिखित दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं यदि उनमें किराये की इकाई का पता, पिछली देय राशि शामिल हो, तथा यह दर्शाया गया हो कि आवेदन में सूचीबद्ध महीनों के लिए किरायेदार की देय राशि पिछली है:

- किराया रोल/किरायेदार खाता बही (लेजर आवश्यक)
  - नमूना खाता-बही [illinoishousinghelp.org/resources](http://illinoishousinghelp.org/resources) पर उपलब्ध है
- अदालती खर्चों की रसीदें या अदालती खर्चों की सूची वाला खाता बही

## बेदखली अदालत के दस्तावेज़

- न्यायालय के दस्तावेज़ों पर सर्किट कोर्ट द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जानी चाहिए, जिसमें वादी (आवास प्रदाता/मकान मालिक/स्वामी), प्रतिवादी (किरायेदार) और केस नंबर शामिल हो, जो दर्शाता हो कि भुगतान न करने के कारण आपका निष्कासन लंबित है। \*कृपया ध्यान दें कि पात्रता के लिए, निष्कासन के कागज़ात पर प्राथमिक किरायेदार/आवेदक का नाम होना आवश्यक है।
- लंबित न्यायालयीन बेदखली के सबूत के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे, लेकिन आवेदक पुनः आवेदन कर सकते हैं।

## अन्य दस्तावेज़ीकरण

यदि लागू हो तो निम्न प्रदान करें:

- मौजूदा हस्ताक्षरित लीज़ (यदि उपलब्ध हो)
- पूरी तरह से निष्पादित और मौजूदा संपत्ति प्रबंधन समझौता (यदि भुगतान किसी संपत्ति प्रबंधक को किया जाता है)

